(02)

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 209/2020 छीगन सिंह / राजेन्द्र<br>225 | |
| 15/07/20 | कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई | पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे | अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित | अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अपीलान्ट ख.न. 474/223 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं ख.न. 422/223 व ख.न. 474/223 न तो पडोस में है एवं न ही कोई सीमा सम्बन्धी विवाद है एवं वादी/रेस्पो. को यदि सीमा सम्बधि कोई परेशानी हो तो उसे अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करनी चाहिये किन्तु वादी/रेस्पो द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलार्थी को उसकी खाते की आराजी के उपयोग-उपभोग से पाबन्द करवा दिया गया | अत: आदेश जैर अपील की क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावे |<br><br>हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 को फोटोप्रति के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी छिगन सिंह विवादग्रस्त भूमि ख.न. 474/223 का एकल खातेदार काश्तकार दर्ज है इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा खसरा नक्शा बाबत ख.न. 474/223 की फोटो प्रति के अवलोकन से अपीलार्थी का यह कथन कि ख.न. 474/223 व ख.न. 422/223 की सिवडोल आपस में मिली हुई नही है, प्रथमदृष्टया सही प्रतीत होता है | ऐसी परिस्थिति में विचाराधीन प्रकरण में विस्तुत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर ही पाबन्दी के सन्दर्भ में आदेश प्रदान किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिये आवश्यक प्रतीत होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे विवादग्रस्त भूमि ख.न. 474/223 एवं 422/223 के सम्बन्ध में विस्तुत मौका रिपोर्ट सम्बंधित तहसीलदार से दिनांक 30/07/2020 तक प्राप्त कर एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का | | |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर तारीख अहलकार जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | उभयपक्षों की सुनवाई कर गुणावगुण पर निस्तारण कर तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>जयपुर | |